

विवरणी का स्थान नियम, 1961  
(करनुपी नियम और आदेश)

प्रलम्ब 24क  
(नियम 85ख देखिए)

यह प्रलम्ब आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन सर्वाधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनीतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समस्त फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन घूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

1. राजनीतिक दल का नाम :

दलतीस्तराद संघकर्ता नातीय पाई

2. राजनीतिक दल की प्रारिधिति

अभावदतो प्राप्त

(मान्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त)

बहुमतान्तर नात्या पाई वर्ड रायझर

3. राजनीतिक दल के मुख्यालय का पता :

29-12-2008

4. निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दल के

AABTC 0521 F

रजिस्ट्रीकरण की तारीख :

5. स्थायी खाता स. (पेन) और वह आय-कर वार्ड/

संकित जहां राजनीतिक दल की विवरणी फाइल

की जानी है... छु, छिं, छ.

6. वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपए से अधिक हैं, वे

क्रम सं.	अभिदायी व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पूरा पता	पेन (वहि कोई हो) और आय-कर वार्ड / संकित	अभिदाय की रकम	अभिदाय की रीति। (चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट/ नकद)	टिप्पणियाँ
५	X	X	X	X	बील

\* चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट लिखा गया है।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकथित शर्तों का अनुपातन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

#### सत्यापन

मेरी ज्ञानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्रलम्ब में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।

मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं उमर नामित राजनीतिक दल की ओर से फॉर्म जाहाज की अपनी हसियत में इस प्रलम्ब को सत्यापित कर रहा हूं और मैं ऐसा करने के लिए साधारण भी हूं।

अधिकारी का नाम और जाति  
(गोपालदास/ प्राधिकारी व्यक्ति का हस्ताक्षर और जाति)

तारीख 22-१२-२०१२।

स्थान राजस्थान